

24/9

एवं
सहायक कलेक्टर

पत्रावली आज रोक दी गई। बागीचा का
सम्बन्ध से S.H.O. सशक्तिकरण से विवेक
प्राप्त हुई। S.H.O. की विवेक अनुसार
सोका विद्या की फर्क सुनिश्चित की गयी। अब
यैनी पक्षी के बीच उफ्त जमीन को लेकर कोई
विवाद नहीं है। सोके पर शांति है। उफ्त
भूमि को फुर्की को निगम द्वारा सुकरकर
दिया जाये तो कोई आपत्ति नहीं है।

अतः रासनगर जो एच.न.
455/6, बप 55/1 रकबा 30 बीघा फुर्की सुका
भूमि पार्सिन: 1 प पार्सिन: 2 की बीच बागीचा
है जानें से फुर्की सुफ्त कि जाती है। पत्रावली
के साथ सुमार होकर नसुकर से काम की
जाकर सुफ्तार शक्ति है। सुकरकर फुर्की
के दोबारा जो आज हुई है। यह पुनः दोबारा (अपने दार)
को सुफ्त की जाये। S.H.O. सशक्तिकरण उफ्त भूमि
का कक्षा पार्सिन: 1 (अपने दार) को सुफ्त
कीया जाये।



अप उफ्त अधिकारी
एवं
सहायक कलेक्टर व
कानून मंत्री, अतिरिक्त

